संख्या-1/2023/3252/तीस-3-2022

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2023

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण की विकराल समस्या के दृष्टिगत जनपद गाजियाबाद में 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनो को निरूद्ध करने हेतु बुलन्दशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूमि पर डम्पिंग यार्ड की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1805स0सु0/2022-टीकवर स0सु0/2022, दिनांक 09 नवम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण की विकराल समस्या के दृष्टिगत जनपद गाजियाबाद में 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को निरूद्ध करने हेतु बुलन्दशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूमि पर डम्पिंग यार्ड की स्थापना हेतु कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में प्रथम किश्त के रूप में प्रति ए0डी0टी0टी0 हेतु रू0 250.00 लाख की दर से रू0 750.00 लाख के प्रदान किये गये अनुमोदन में 02 ए0डी0टी0टी0 हेतु आवश्यक नि:शुल्क भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण उक्त मद में संभावित बचत रू0 38.50 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 38,27,120.00 (रुपये अड़तीस लाख सत्ताईस हजार एक सौ बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2022 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि रू0 791.00 लाख से धनराशि रू0 38,27,120.00 (रुपये अड़तीस लाख सत्ताईस हजार एक सौ बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसकी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(5) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 38,27,120.00 (रुपये अड़तीस लाख सत्ताईस हजार एक सौ बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-30प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि रू0 791.00 लाख के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू०ओ०-ई-9-157-दस-2022-23, दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1/2023/3252(1)/तीस-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी- गाजियाबाद।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।